भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3078
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बेंगलुरु के लिए दूसरा विमानपत्तन

3078. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बेंगलुरु शहर के लिए दूसरे विमानपत्तन या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) विमानपत्तन को वाणिज्यिक यात्री परिचालन के लिए पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में भारतीय निमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) या किसी अन्य एजेंसी द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन, सुरक्षा मूल्यांकन या यातायात अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) किसी शहर में दूसरे विमानपत्तन को मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और मानदंड का ब्यौरा क्या है तथा दूरी के मानदंड, यातायात सीमा और संविदात्मक शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एचएएल विमानपत्तन को पुनः आरंभ करने या दूसरे विमानपत्तन के विकास के लिए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के साथ मौजूदा रियायत समझौते में किसी संशोधन की आवश्यकता होगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संचालक के लिए कितना मुआवजा प्रस्तावित है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): कर्नाटक सरकार (जीओके) के अनुरोध के आधार पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने बेंगलुरु में दूसरे हवाईअड्डे के विकास के लिए परामर्श के आधार पर तीन स्थलों का प्रारंभिक व्यवहार्यता-संबंधी अध्ययन किया है। प्रारंभिक व्यवहार्यता-संबंधी अध्ययन रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेजी गई है। इसके पश्चात भारत सरकार (जीओआई) को जीएफए नीति के तहत बेंगलुरु के पास दूसरे ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए कर्नाटक सरकार या किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार और मैसर्स बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) के बीच रियायत समझौते (सीए) के अनुसार, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बेंगलुरु के 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी भी नए या मौजूदा हवाईअड्डे (घरेलू हवाईअड्डों के रूप में मैसूर और हसन हवाईअड्डे के विकास को छोड़कर) को, उसके उद्घाटन की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व विकास/सुधार/उन्नयन के लिए अनुमति नहीं है। केआईए, बेंगलुरु हवाईअड्डे के उद्घाटन की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पहले केआईए, बेंगलुरु के 150 किलोमीटर के भीतर किसी भी नए हवाईअड्डे के विकास या मौजूदा एचएएल

हवाईअड्डे पर पुनः प्रचालन आरंभ करने के लिए, सीए के प्रावधानों के अनुसार बीआईएएल से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

******